


रिपोर्ट पटवारी व भूअनि

महोदय जी) रिपोर्ट है कि ग्राम- करिया के खाना सं० 5 व 6 में  
प्राची खन्नेटा का नाम रेमता पिता नानू दर्ज है। जबकि प्राची के  
अन्य कागजात आधार कार्ड NO- 3784.0258, 5554 में सही  
नाम रामलाल पिता नानू दर्ज होने से ग्राम- करिया के खाना सं०  
5 व 6 में रेमता पिता नानू के बजाय रामलाल पिता नानू दर्ज  
किया जाना उचित है।


  
13/10/21  
IPR  
रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार 14-10-2021

रिपोर्ट पठें एवं IPR के अनुसार उचित  
किया जाना उचित है।

  
तहसीलदार (भू.अ.) माण्डल  
जिला-भीलवाड़ा

आदेश

तहसीलदार माण्डल की रिपोर्ट के आधार पर  
खाना सं० 5 व 6 में रेमता पिता नानू के बजाय  
रामलाल पिता नानू किये जाने का आदेश दिया  
जाता है।

  
डॉ. पूजा कुसुमा  
उप-खण्ड अधिकारी माण्डल  
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

